उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दि0 24.09.2015 को आयोजित 18 वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

UTTARAKHAND

UEPPCB

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

29/20 नेमी रोड़ डालनवाला

देहरादून

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 18 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24.09.2015 को वन विकास निगम, सभागार देहरादून में अध्यक्ष, **उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्न लिखित सदस्य उपस्थित थे

1. **डा0 रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण /अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।**
2. **श्री श्रीकान्त चन्दोला, प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, देहरादून।**
3. **श्रीमती बीना बिष्ट, सभासद, नगर निगम देहरादून।**
4. **श्री कुशलानन्द जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता देहरादून।**
5. **श्री जगदीश धीमान, सभासद, नगर निगम, देहरादून।**
6. **श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष इण्डियन इण्डस्ट्रीज ऐसोसियेसन- प्रतिनिधि उत्तराखण्ड चेम्बर आफ कामर्स।**
7. **श्री मोनीष मल्लिक, अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, देहरादून।**
8. **श्री ओमकार सिंह, सयुक्त सचिव, शहरी विकास विभाग- अपर सचिव, शहरी विकास के प्रतिनिधि।**
9. **श्री पी0सी0 दुम्का, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण-उपाध्यक्ष, एम0डी0डी0ए0 के प्रतिनिधि।**
10. **श्री वी.के. जैन, जनरल मैनेजर (टैक्निकल आडिट)- मुख्य अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल नियम के प्रतिनिधि।**
11. **डा0 विवेकानन्द सती, वरिष्ठ नगर पशु चिकित्सा अधिकारी- मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम देहरादून, के प्रतिनिधि।**
12. **श्री. विजय कुमार माथुर, सहायक अभियन्ता, प्राधिकरण-उपाध्यक्ष हरिद्वार विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि।**
13. **श्री अजय कुमार असवाल, कर अधीक्षक -प्रशासक नगर पालिका काशीपुर के प्रतिनिधि।**
14. **श्री नरेश कुमार सिंह, जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल), -मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम देहरादून के प्रतिनिधि।**
15. **श्री विनोद सिंघल, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।**

सर्वप्रथम **सदस्य सचिव** द्वारा बोर्ड **अध्यक्ष** एवं सभी बोर्ड सदस्यों का स्वागत करते हुऐ **अध्यक्ष महोदय** की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्य सूची के बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मत से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

कार्य सूची मद सं0 -18.1

बोर्ड की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना तथा बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया जाना।

बोर्ड की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दुओ पर **सदस्य सचिव, राज्य बोर्ड** द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड बैठक में अवगत कराया गया तथा बोर्ड द्वारा बिन्दु संख्या 17.1, 17.2, 17.7 एवं 17.14 पर कुछ निर्देश के साथ बोर्ड की 17 वीं बैठक में कार्यवृत्त पर अनुमोदन दिया गया

कार्य सूची मद संख्या	बिन्दु/लिया गया निर्णय	बिन्दुवार अनुपालन की स्थिति
17.1	1. **सदस्य सचिव** द्वारा अवगत कराया गया की पूर्व में 16वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार **"उत्तराखण्ड कानक्लेव"** जो की राज्य से सम्बन्धित पर्यावरणीय विषयों के सम्बन्ध में	**सदस्य सचिव, राज्य बोर्ड** द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया गया।

	आयोजित किया जाना है, हेतु "**टाइम्स आफ इण्डिया" ग्रुप** के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। यथाशीघ्र "**उत्तराखण्ड कानक्लेव**" के आयोजन हेतु **टाइम्स आफ इण्डिया** के साथ तैयार कर कार्यवाही की रूपरेखा, **अध्यक्ष** महोदय के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।	
	2. राज्य बोर्ड के कार्मिकों के लिये **सुनिश्चित कैरियर प्रोनन्यन** (ACP) व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में **अध्यक्ष महोदय** द्वारा सुझाव दिया गया कि **राज्य बोर्ड** के ढाचें को सुव्यवस्थित कर अनुमोदनार्थ **उत्तराखण्ड शासन** को प्रेषित किया जाये तदोपरान्त **ए0सी0पी0** पर निर्णय लिया जायेगा।	**सदस्य सचिव, राज्य बोर्ड** द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया गया।
	3. **बोर्ड** में कार्यरत दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, 'संविदा, नियत वेतन अंशकालीन तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों को शासन द्वारा जारी **विनियमितीकरण नियमावली– 2013** के अनुसार विनियमितीकरण का प्रस्ताव सम्बन्धी नोट **सदस्य सचिव** द्वारा पहले **अध्यक्ष बोर्ड** को प्रस्तुत किया जाये।	**सदस्य सचिव, राज्य बोर्ड** द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया गया।
	4. **अध्यक्ष महोदय** द्वारा बोर्ड के 16 वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में सुझाव दिये गये कि ई0सी0 रोड को Green Road की तर्ज पर विकसित किये जाने की कार्यवाही पर यथाशीघ्र कार्यवाही की जाये तथा ई0सी0रोड़ में सोलर लाईट के स्थान पर **उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन** द्वारा रोड़ लाइट हेतु विद्युत आपूर्ति मुहया करायी जाये।	**अध्यक्ष** महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि **उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण** प्रकरण पर एक बैठक आयोजित करेगें जिसमें **राज्य बोर्ड** एवं **नगर निगम** देहरादून के अधिकारी भी सम्मलित रहेगें तथा बैठक के उपरान्त **मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण** एक कार्यदायी विभाग होने के कारण एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर **राज्य बोर्ड** को प्रेषित करेगा। जिसमे राज्य बोर्ड भी आंशिक वित्तीय सहायता में सहयोग देने पर विचार करेगा तदोपरान्त बोर्ड के 16वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार **एम0डी0डी0ए0** द्वारा कार्यवाही की जाये।
	5. **उत्तराखण्ड राज्य** हेतु "**स्टेट आफ एन्वायरनमेंट" रिर्पोट** बनाये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि बोर्ड के सदस्य सचिव नई	बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य बोर्ड **Centre for Science and Environment (CSE), The Energy Research Institute (TERI), Indian Institute of Technology (IIT) Roorkee** तथा

	दिल्ली स्थित दि **एनेरजी रिसर्च इंस्ट्रीट्यूट** (TERI) से **"स्टेट आफ इन्वायरोमेन्ट"** रिर्पोट बनाये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर स्कोप आफ वर्क, रिपोर्ट तैयार किये जाने में आने वाले व्यय आदि पर चर्चा कर लें। तदोपरान्त प्रस्ताव तैयार कर उत्तराखण्ड शासन से उत्तराखण्ड प्रोक्यूरमेन्ट रूल्स के अन्तर्गत कार्यवाही करने में छूट प्रदान करने का आग्रह किया जाये।	अन्य उच्च स्तरीय राजकीय तकनीकी संस्थानो की सूची तैयार करेगा। तथोपरान्त लिमिटेड टेन्डर व्यवस्था के अन्तर्गत किसी एक संस्थान को **स्टेट आफ इन्वायरोमेन्ट रिपोर्ट** तैयार किये जाने हेतु चयन करेगा।
17.2	**राज्य बोर्ड के 16वीं बैठक के बिन्दु संख्या 16.9 के अनुसार बोर्ड के संशोधित ढांचे को बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाना।** **बोर्ड** द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा प्रस्ताव को **उत्तराखण्ड शासन** के अनुमोदन हेतु प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।	**सदस्य सचिव, राज्य बोर्ड** द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया गया।
17.3	**दून घाटी अधिनियम-1989 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में हरित श्रेणी के उद्योगों को तीन वर्ष हेतु संचालनार्थ संयुक्त सहमति एवं प्राधिकार (CCA) निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।** बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा सर्वसम्मति से दून घाटी क्षेत्र में **"हरित श्रेणी"** के उद्योगों से तीन वर्षो के शुल्क के साथ संयुक्त सहमति एवं प्राधिकार निर्गत किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	**सदस्य सचिव, राज्य बोर्ड** द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया गया।
17.4	**बिना स्थापनार्थ सहमति एवं संचालानार्थ सहमति के संचालित होने वाले उद्योगों द्वारा संचालन के उपरान्त सहमति हेतु आवेदन करने पर बोर्ड द्वारा कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।** प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की स्थापनार्थ सहमति न लेने वाले स्थापित उद्योगो की पर्यावरणीय दृष्टि से स्थल	**सदस्य सचिव, राज्य बोर्ड** द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया गया।

	उपयुक्त होने एवं सभी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाऐं स्थापित होने की दशा में प्रारम्भिक शुल्क तथा उत्पादन की तिथि से एक वर्ष पूर्व से प्रारम्भिक शुल्क पर 10.00 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज की दर से आवेदन करना होगा। शुल्क की दर, यदि इस बीच बढ़ी हो, तो नवीतम दर पर आगणन किया जाएगा। उक्तानुसार आवदेन प्राप्त होने पर ही बोर्ड द्वारा प्रकरण पर विचार किया जायेगा। उद्योगों को जल/वायु सहमति एवं प्राधिकार संयुक्त रूप से सी0टी0ई0-सी0सी0ए0 निर्गत किया जायेगा। संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना संचालित उद्योगो को संचालन की तिथि से प्रत्तेक वर्ष का प्रारम्भिक शुल्क सहित 10.00 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आवेदन करना होगा। शुल्क की दर यदि इस बीच बढ़ी हो, तो नवीतम दर पर आगणन किया जायेगा। तदोपरान्त बोर्ड द्वारा सहमति निर्गत की जाएगी। किन्तु हरित श्रेणी के उद्योगों पर मात्र 10.00 प्रतिशत साधारण व्याज लिये जाने का निर्णय लिया गया।	
17.5	**उद्योगों को पर्यावरणीय अधिनियमों के उल्लंघन के पश्चात निर्गत किये जाने वाले कारण बताओ नोटिस के उपरान्त उद्योग से यथाशीघ्र अनुपालन बोर्ड को प्रेषित करने के सम्बन्ध में।** बोर्ड के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया तथा निर्णय लिया गया कि कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुपालन हेतु सम्बन्धित उद्योगो को मात्र 30 दिनों का समय दिया जाये। उक्त अवधि में अनुपालन न करने की दशा में उद्योगों के विरूद्ध पर्यावरणीय नियमों के अनुसार बन्दी की कार्यवाही की जाये। प्रस्ताव के अनुसार उपरोक्त प्रकार के उद्योगों से बैंक गारन्टी लिए जाने के प्रस्ताव को सदस्यों द्वारा अस्वीकृत किया गया।	**सदस्य सचिव, राज्य बोर्ड** द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया गया।

17.6	**बोर्ड की वर्ष 2013-14 के वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में।** बोर्ड सदस्यों द्वारा बोर्ड की **वार्षिक रिपोर्ट** का अवलोकन किया गया तथा रिपोर्ट को प्रकाशित किए जाने हेतु अनुमोदित किया गया।	**सदस्य सचिव, राज्य बोर्ड** द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया गया।
17.7	**बोर्ड में सहमति शुल्क एवं अन्य शुल्कों को आन लाईन पेमन्ट गेट्वे की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।** बोर्ड के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया तथा इस शर्त के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया कि बोर्ड में 31 मार्च 2015 तक उक्त व्यवस्था के साथ-साथ वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था को भी लागू रखा जाये। यदि किसी कारणवश उक्त व्यवस्था में अग्रेतर समय की आवश्यकता हो तो **अध्यक्ष महोदय** से अग्रिम समय हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाये।	बोर्ड बैठक में निर्णय लिय गया की **राज्य बोर्ड** के कार्यालय में आन लाईन पेमेन्ट व्यवस्था के अन्तर्गत **दिनांक 31.03.2016** तक ई-बैंकिग, **Real Time Gross Settlement System(RTGS)** एवं **National Electronic Fund Transfer (NEFT)** की व्यवस्था तत्काल लागू किया जाये तथा इसके साथ ही बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाये।
17.8	**बोर्ड कार्मिकों के चिकित्सीय प्रतिपूर्ति हेतु बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।** बोर्ड द्वारा **श्री अमरजीत सिंह, पर्यावरण अधिकारी** के चिकित्सीय प्रतिपूर्ति सम्बन्धी प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	**सदस्य सचिव, राज्य बोर्ड** द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया गया।
17.9	**ई0पी0एफ0 द्वारा विभिन्न मदों में चार्ज किये रू0 2.22 लाख की धनराशि को जमा किये जाने के सम्बन्ध में।** **बोर्ड** द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन दिया गया।	**सदस्य सचिव, राज्य बोर्ड** द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया गया।

17.10	**बोर्ड में अर्जित आय से देय आयकर की छूट प्राप्त करने के सम्बन्ध में।** **बोर्ड** द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा अर्जित आय पर आयकर में छूट प्राप्ति की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिया गया कि उक्त कार्य हेतु अध्यक्ष, बोर्ड के अनुमोदन से "आयकर विशेषज्ञ" की सेवायें प्राप्त की जाये।	**सदस्य सचिव, राज्य बोर्ड** द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया गया।
17.11	**निविदाएं एवं लोक सुनवाई के विज्ञापन के अधिकार सदस्य सचिव को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।** **बोर्ड** द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा सर्वसम्मति से निविदा एवं लोक सुनवाई के विज्ञापन हेतु सदस्य सचिव को डी0ए0बी0पी0 दरों पर रू0 75000/- तक का वित्तीय अधिकार दिये जाने का अनुमोदन किया गया।	**सदस्य सचिव, राज्य बोर्ड** द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया गया।
17.12	**उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली 1995 में बोर्ड के कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।** **बोर्ड** द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं सर्वसम्मति से बोर्ड अधिकारियों एवं कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु निम्न अनुसार प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया। 1. **अध्यक्ष** - प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानान्तरण। 2. **सदस्य सचिव,**- तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के स्थानान्तरण।	**सदस्य सचिव, राज्य बोर्ड** द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया गया।
17.13	**गोकुल हिमालयन वैलफैयर सोसाइटी द्वारा ऋषिकेश एवं स्वर्गाश्रम क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट एवं घरेलू उत्प्रवाह के प्रबन्धन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव।** बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के उल्लेखित सभी बिन्दूओ का अध्ययन कर प्रस्ताव पर Uttrakhand Procurement Rules के प्राविधानों के अनुरूप टिप्पणी अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जाये। अध्यक्ष राज्य बोर्ड द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि पर्यावरणीय जनजागरूकता हेतु स्वंयसेवी	**सदस्य सचिव, राज्य बोर्ड** द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया गया।

	संस्थाओं/ रेजिडन्ट वैलफियर एसोशिसेन, तथा एन0जी0ओ0 के लिये स्कीम भी बनायी जाये तथा अध्यक्ष महोदय, के अनुमोदन के उपरान्त कार्यवाही की जाये।	
17.14	**अन्य विन्दु मा0 अध्यक्ष, बोर्ड की अनुमति से**	
	1. **उत्तराखण्ड शासन** के शासनादेश के क्रम में लिपिकीय कर्मचारियों की भांति राज्य बोर्ड में कार्यरत लिपिकीय संवर्ग के कार्मिकों के पद नाम, एव ग्रेड पे वेतन में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	**सदस्य सचिव, राज्य बोर्ड** द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया गया।
	2. **बोर्ड** बैठक में शहरों में ठोस अपशिष्टों को जलाए जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि बोर्ड में एक टीम गठित कर सभी नगर निकायों में औचक निरिक्षण कर यह पता ,लगाया जायें कि किन-किन क्षेत्रों मे नगरीय ठोस अपशिष्टो को जलाया जा रहा है उक्त क्षेत्रो का विवरण एवं फोटोग्राफ तैयार कर सम्बधित नगर निकायों को विधिक नोटिस भेजा जाय। तदोपरान्त नगर निकायों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जाये। इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों के माध्यम से भी कूड़े को जलाने पर की जाने वाली कार्यवाही की चेतावनी सभी नगर निकाय क्षेत्रों में प्रकाशित की जाए।	बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि **नगरीय ठोस अपशिष्टो** के जलाये जाने पर प्रतिबन्ध हेतु **नगर निकाय** अपने क्षेत्र के अन्तर्गत सभी **सुपरवाइजरों** को क्षेत्र मे **नगरीय ठोस अपशिष्टो** को न जलाए जाने हेतु नोटिस जारी करेगा। जारी किये जाने वाले नोटिस का प्रारूप **राज्य बोर्ड,** पर्यावरणीय प्राविधानों का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित **अधिशासी अधिकारी** को प्रेषित करेगा तथा राज्य बोर्ड एवं सभी नगर निकाय शहरों मे **ठोस अपशिष्टो** को न जलाए जाने हेतु समाचार पत्रों एवं साईन बोर्ड एवं वैव साईड के माध्यम से प्रचार प्रसार की व्यवस्था करेगें। इस विषय पर सम्बधित **नगर निकाय** अपने-अपने कार्यालयों में सुपरवाइजरों के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित करेगें। बोर्ड बैठक में यह भी निर्णय लिया गया की राज्य बोर्ड देहरादून शहर में सभी गन्दे नालो, एवं शहर में प्रवाहित होने वाले नदियों, जैसे की **सुसवा, विन्दाल, रिस्पना** के जल गुणवत्ता के आंकलन हेतु **Terms of Reference (TOR)** तैयार कर अध्ययन करायेगा तथा रिर्पोट की प्रति अपने वैव-साइट पर भी प्रकाशित करेगा।
	3. **बोर्ड** के सदस्य श्री कुशलानन्द जोशी द्वारा सुझाव दिया गया कि जैव चिकित्सा अपशिष्टो के सुचारू प्रबन्धन हेतु बोर्ड को स्वास्थ्य विभाग से भी विचार विमर्श करना चाहिए जिसे स्वीकार किया गया।	**सदस्य सचिव, राज्य बोर्ड** द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया गया।

कार्य सूची मद सं0 -18.2

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2015-16 की वार्षिक वजट के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव बोर्ड के सम्मुख प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड बैठक में राज्य बोर्ड की 2015-2016 की वार्षिक बजट का अवलोकन किया गया तथा सर्व सम्मति से प्रस्तावित बजट का अनुमोदन दिया गया।

कार्य सूची मद सं0 - 18.3

राज्य बोर्डो, के अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों की अखिल भारतीय बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार उद्योगों को बहु-वर्षीय (Multi Year) सहमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। प्रस्ताव **अखिल भारतीय केन्द्र/राज्य बोर्डो** के **अध्यक्षों** एवं **सदस्य सचिवों** के सम्मेलन में लिये गये निर्णय के अनुसार **केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** द्वारा जारी उद्योगो के नये वर्गीकरण, जो की वर्तमान में Draft के रूप में है, तैयार किया गया है। बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि **केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** द्वारा भविष्य में उक्त Draft को अन्तिम रूप दिये जाने के उपरान्त ही कार्यवाही प्रस्तावित की जाय।

कार्य सूची मद सं0 - 18.4

उत्तराखण्ड राज्य में संयुक्त उत्प्रवाह उपचारित संयत्रों (Common Effluent Treatment Plant) को तृतीय पक्ष के द्वारा संचालित न किये जाने एवं संचालन की व्यवस्था सम्बन्धित उद्योगों के एसोशियेशन के माध्यम से संचालित किये जाने का प्रस्ताव के सम्बध में।

बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि अनुमोदित प्रस्ताव भविष्य में उत्तराखण्ड मे स्थापित होने वाले समस्त **संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयत्रों** पर लागू होगें। यदि किसी **संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयत्र** की सहमति बोर्ड द्वारा निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु बाध्य होने की परिस्थिति उत्पन्न हो तो पुनः सहमति उक्त शर्त के अन्तर्गत ही दी जायेगी ।

कार्य सूची मद सं0 - 18.5

बोर्ड के 04 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं बोर्ड मुख्यालय में Environment Surveillance Squad के संचालन हेतु वाहन क्रय किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड बैठक में प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। **सदस्य सचिव राज्य बोर्ड** द्वारा अवगत कराया गया कि **पर्यावरण सर्वेक्षण समूह (Environment**

Surveillance Squad) हेतु प्रस्तावित दो वोलरो वाहनों का क्रय बोर्ड में **पर्यावरण सर्वेक्षण समूह** के गठन के बाद ही किया जाएगा।

....

कार्य सूची मद सं0 - 18.6

बोर्ड मुख्यालय एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला के निर्माण के सम्बन्ध में वर्तमान तक किये गये कार्यवाही की स्थिति बोर्ड के सम्मुख अवलोकन हेतु प्रेषित किया जाने के सम्बन्ध मे।

बोर्ड बैठक में प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

....

कार्य सूची मद सं0 - 18.7

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न संस्थानो के माध्यम से संचालित परियोजना के स्थिति को बोर्ड के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड बैठक में प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा सर्वसम्मति से अनुमोदन दिया गया।

....

कार्य सूची मद सं0 - 18.8

बोर्ड द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्देश एवं तत्क्रम में सम्बन्धित विभागो से बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार नगर निगम, हरिद्वार, नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश एवं स्वर्गाश्रम को नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण हेतु विभिन्न स्थानों पर Dust Bins स्थापित किये जाने हेतु दिया गया रू0 10.0 लाख की वित्तिय सहायता तथा भविष्य में रू0 5.0 करोड़ का Revolving Fund स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के सम्मुख रखे जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड बैठक में प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, तथा सर्वसम्मति से अनुमोदन दिया गया कि शासन से **Revolving Fund** की आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त आगे कार्यवाही की जाये।

....

कार्य सूची मद सं0 - 18.9

बोर्ड के नियमित कार्मिकों को हेल्थ इन्शोरेन्स पालिसी के माध्यम से चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड बैठक में प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक अनुमोदन इस शर्त के साथ दिया गया कि पूर्व में प्रचलित व्यवस्था का अध्यन कर लिया जाये तथा **राज्य बोर्ड** विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करे तथा परीक्षण के उपरान्त सक्षम एजेन्सी को चयनित कर प्रस्ताव **अध्यक्ष महोदय**, के अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा।

....

कार्य सूची मद सं0 - 18.10

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से-

बोर्ड बैठक में होटलों को **राज्य बोर्ड** से सहमति लेने के सम्बन्ध में प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये

1-

क. 20 कमरों तक के होटलों को देय शुल्क मे अधिकतम 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। यदि किसी होटल द्वारा पूर्व में लगातार सहमति प्राप्त की जा रही है तो उन होटलों को अग्रेतर 10 वर्षों के लिए शुल्क मे छूट दी जाएगी।

ख. 21 से 50 कमरों के होटलों को देय शुल्क में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। यदि किसी होटलो द्वारा पूर्व में लगातार सहमति प्राप्त की जा रही है तो उन होटलों को अग्रेतर 05 वर्षो के लिए शुल्क से छूट दी जाएगी।

ग. 50 कमरों से अधिक होटलों को किसी भी प्रकार की शुल्क में छूट नहीं दी जाएगी। शुल्क की व्यवस्था पूर्वानुसार ही रहेगी।

घ. तीन स्टार, से अधिक होटलों पर शुल्क पूर्व व्यवस्था की अनुसार रहेगी।

उक्त व्यवस्था 31.03.2016 तक लागू रहेगी।

2- **अध्यक्ष महोदय** की अनुमति से **सदस्य सचिव राज्य बोर्ड** द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में **Environmental Impact Assessment Notification-2006** के अन्तर्गत **State Leval Environment Impact Assessement Authority (SEIAA)** का गठन किया गया है जिनके द्वारा **EIA Notification** में उल्लेखित **B-श्रेणी** के उद्योगों /परियोजनाओं क्रियाकलापों एवं **दून घाटी अधिनियम-1998** के अन्तर्गत **सन्तरी श्रेणी** उद्योगो/क्रियाकलापों की **पर्यावरणीय स्वीकृति** पर निर्णय लिया जाता है। **राज्य बोर्ड** द्वारा भी **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986** के अन्तर्गत समय-समय पर धारित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अतः **राज्य बोर्ड** एवं **State Leval Environment Impact Assessement Authority** के कार्यो में समानता को दृष्टिगत रखते हुऐ **State Leval Environment Impact Assessement Authority** के **सदस्य सचिव** को **राज्य बोर्ड** में ''सदस्य'' नामित करने पर विचार किया जाये। बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अतः निर्णय लिया गया कि **राज्य बोर्ड** द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

3- **Real Time Effluent Monitoring System** के सम्बन्ध में। **सदस्य सचिव** महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि **केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** के निर्देशो के क्रम में राज्य में स्थिति 17-श्रेणी के प्रदूषणकारी उद्योगों जैसे पल्प एवं पेपर, चीनी मिल्ले, डिस्टलरी आदि को जनित उत्प्रवाह को उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र के माध्यम से शुद्धिकृत किये जाने के उपरान्त अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व **Real Time Monitoring System** स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। वर्तमान में 15 उद्योगों **Real Time Monitoring Data** को **केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** एवं **राज्य बोर्ड** को प्रेषित किया जा रहा है। बैठक में **Real Time Data** भी प्रदर्शित किया गया।

अन्त में सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यो का आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय की सहमति से बैठक का समापन किया गया।

8/10/2015

(डा0 रणवीर सिंह)
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,